

नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.17 से 31.03.19

भाग-एक

1. प्रारम्भिक

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1-376/81-फिन(एल.ए.) खण्ड-IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.17 से 31.03.19 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01.04.17 से 31.03.19 के दौरान नगर परिषद कांगड़ा में प्रधान व कार्यकारी अधिकारी के पद पर निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहे:-

प्रधान		
क्रमांक	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सुमन वर्मा	01-04-17 से 16-07-18 तक
2.	श्री अशोक शर्मा	04-09-2018 से लगातार
कार्यकारी अधिकारी		
	श्रीमति कंचन बाला	01.04.2017 से लगातार

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद कांगड़ा के अवधि 01.04.17 से 31.03.19 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क का आकलन ₹46200 किया गया है। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कांगड़ा को सहायक नियंत्रक, लेखा परीक्षा की अधियाचना संख्या: फिन(एल.ए.)मंडी -06/19-399 दिनांक 21.06.2019 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को भेजने का अनुरोध किया गया।

4 (क) वित्तीय स्थिति

नगर परिषद कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत नगर परिषद की अंकेक्षण 01.04.17 से 31.03.19 की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट-(क) के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

Financial Position M.C. Kangraw e.f. 1/4/2017 to 31/3/2019

Year	Op. Balance	D. Income	Interest	Grants	Total	G. Exp.	D. Work	Cl. Balance
2017-18	61616243.96	13454999	3036110.47	36712198	114819551.43	30048648.95	17487400	67283562.48
2018-19	67283502.48	14368885	3425890.00	43103724	128182001.48	34621416.70	14597940	78962644.78

(ख) बैंक समाधान विवरणी -

Bank Reconciliation Statement							
Balance as per Cash Book as on dt. 31-3-2019							78962644.78
Balance as per Pass Book as on dt. 31-3-2019							78616377.78
Difference (78616377.78 - 78962644.78)							(-) 346267.00
Add:-	Cheque issued but not presented for payment						
Date	C.B. Page	Cheque No.	Amount				
12-03-18	82	338467	3200.00				
12-03-18	82	338468	2690.00			(+) 5890.00	
Less:-	Cash in Hand on dt. 30-3-19 C.B. P-105						
						(-) 333751.00	
Amount less credited by the bank							
Date	C.B. Page	A/c No.	Bank Name	Amount sent for deposit	Cr. given by the bank	Difference	
08-03-19		11000750	OBC	5829	0	5829.00	
14-03-19		1000601	Canara	12272	0	12272.00	
22-03-19		23410	KCC	290	0	290.00	
22-03-19		23410	KCC	2357	2351	6.00	(-) 18406
Net Difference (352187.00 - 5890.00 = 346267.00)							0.00

24

स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना:-

अभिलेख की जाच में पाया गया कि नगर परिषद में स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गयी है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना कारवाई जानी अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलंब प्रत्यक्ष सत्यापना करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से भण्डार की मदों की प्रत्यक्ष सत्यापना कारवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

25

लघु आपति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गयी है।

26

निष्कर्ष :- नगर परिषद के लेखों में सुधार के लिए पर्यवेक्षण एवं सुदृढ़ लेखांकन प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है।

28 AUG 2019

(सकेश कालरा)
संयुक्त निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं-0177-2620881/4

5921

पृष्ठांकन संख्या : v (5) फिन (एल0ए0डी0) खण्ड-8 शिमला-171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 जो पैरा 1 (ग) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पञ्जीकृत 2. सचिव, नगर परिषद कांगड़ा सहस्रील कांगड़ा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गई आपत्तियों का सन्निध्य उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

(सकेश कालरा)
27/8/19

संयुक्त निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं-0177-2620881/4